

NATIONAL HUMAN RIGHTS & CRIME CONTROL BUREAU

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो

आवश्यक सूचना

विषय: अक्टूबर माह - मानवाधिकार एवं सामाजिक जागरूकता गतिविधियाँ

समस्त प्रदेश, जिला, ब्लॉक एवं अन्य इकाइयों के सम्मानित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सूचित किया जाता है कि *अक्टूबर माह में अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम दो मानवाधिकार एवं सामाजिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से आयोजित करें।*

गांधी जयंती से प्रेरणा लेते हुए शांति, अहिंसा, मानवाधिकार, स्वच्छता, सामाजिक सद्भाव, नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य जैसे विषयों पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

 संभावित गतिविधियों की सूची:

1. शांति एवं अहिंसा पर जन-जागरूकता कार्यक्रम
2. मानवाधिकार एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम
3. विद्यालय / महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम
4. स्वच्छता एवं सामाजिक जागरूकता अभियान
5. जरूरतमंदों की सहायता एवं सामाजिक सेवा
6. नागरिक अधिकार एवं कर्तव्यों पर जनसंवाद
7. पर्यावरण एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ
8. स्थानीय स्तर पर अन्य उपयुक्त सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम

 महत्वपूर्ण निर्देश:

- अक्टूबर माह में प्रत्येक पदाधिकारी / सदस्य द्वारा कम से कम 1-2 गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ।

- कार्यक्रम अक्टूबर माह में किसी भी सुविधाजनक दिन आयोजित किया जा सकता है।

- स्थानीय परिस्थितियों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यक्रम का स्वरूप निर्धारित करें।
- कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों एवं युवाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करें।
- संगठन की गरिमा, अनुशासन एवं लागू नियमों का विशेष ध्यान रखें।

📷 रिपोर्टिंग अनिवार्य:

आयोजित कार्यक्रम के फोटो, वीडियो एवं संक्षिप्त रिपोर्ट NHRCCB के आधिकारिक WhatsApp ग्रुप / निर्धारित माध्यम पर अनिवार्य रूप से साझा करें।

> *संदेश:* "मानवाधिकारों की जागरूकता केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।"

आइए, इस अक्टूबर माह में हम सभी मिलकर एक से दो सार्थक पहल करें और अपने क्षेत्र में मानवाधिकार, सामाजिक जागरूकता एवं सेवा की भावना को मजबूत करें।

राष्ट्रीय कार्यालय, NHRCCB
www.nhrccb.org